न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का खेरलीरेल बनाम जगदीश S/o कारे जाटव

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA/03/2018 निर्णय दिनॉक :- 17/4/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खेरलीरेल की आ.ख.न. 1026 कुल रकबा 0-95 किस्म जमीन गैरमु0 रास्ता में से 100वर्गफुट रकबे पर श्री जगदीश S/o कारे जाटव ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कूड़ा डालकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का खेरलीरेल द्वारा दिनॉक 10/4/18 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. खेरलीरेल के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी जगदीश S/o कारे जाति जाटव निवासी खेरलीरेल को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 1076 रकबा 0-95 में से 100 वर्गफुट रकबे किस्म गैरमुमकिन रास्ता है जो नियमन योग्य नहीं है लिहाजा गैरखातेदार को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 1 Paise का 50 गुणा 1=00 One Rs. रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु डीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी खेरलीरेल भू.अ.निरी. खेरलीरेल .... को लिखा जाकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर (अलवर)

17/4/18

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)